252

संख्या– — /XXXVI(1)/2013–234/2001 टी0सी0

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1

देहरादून: दिनांक: 19 जून, 2013

विषय– मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में 01 पद प्रमुख निजी सचिव, 01 पद मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी एवं 01 पद मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के अस्थायी निःसंवर्गीय पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–146/XXXVI(1)/2012–234/2001 टी0सी0 दिनांक 13–07–2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल के अधिष्ठान में शासनादेश सं0–19/एक(2) न्याय विभाग/2003 दिनांक 01–08–2003 के द्वारा सृजित प्रमुख निजी सचिव के 01 अस्थायी निःसंवर्गीय पद एवं शासनादेश सं0–98/एक(2)/छत्तीस(1)/2005–234/2001 दिनांक 15–12–2005 तथा संख्या–98(क)/एक(2)/छत्तीस(1)/2005–234/2001 दिनांक 16–12–2005 द्वारा सृजित/संशोधित मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी एवं मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के एक–एक अस्थायी निःसंवर्गीय पद के कार्यकाल को वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाय, दिनांक 01–03–2013 से दिनांक 28–02–2014 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2013–2014 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–102–उच्च न्यायालय–03–उच्च न्यायालय–00" की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0– 40NP/XXVII(5)/2012-13 दिनांक 17.06.2013 को प्राप्त उनकी सहमति के से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या– 155 /XXXVI(2)/2013–234/2001 टी0सी0 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राकेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

D:\Bhagwan folder\vidh letter.doc